केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्
जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन,
नं0 61–65, इन्स्टीयूशनल एरिया, 'डी' ब्लॉक, जनकपुरी के सामने,
जनकपुरी, नई दिल्ली –110058 फोन 28520607

ऐयर कन्डीशनर्स की कम्प्रीहेन्सिव वार्षिक रख–रखाव हेतु निविदा

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् निम्न विन्डो, स्पलीट ऐयर कन्डीशनर्स की कम्प्रीहेन्सिव ए.एम.सी. जिसमें सर्विस/मरम्मत/ रख–रखाव सभी पार्ट एवं गैस रिफिलिंग सम्मिलित हो, के लिए निविदा आमंत्रित करती है उपकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	उपकरण का नाम	कम्पनी	खरीदारी का वर्ष	उपकरणों मात्रा
1.	स्पलिट ए.सी. 1.5 टन/ 2 टन	एलजी/ सैमसंग	2011–12	5
2.	विन्डो ए.सी. 1.5 टन	एलजी/ सैमसंग	2011–12	7
3.	स्पलिट ए.सी. 2 टन	एलजी/ सैमसंग	2011–12	5
4.	स्पलिट ए.सी. 2 टन	हिटैची	2016–17	02
		कुल		19

दिये जाने वाले रेट में ए.सी. के सभी पार्टस सम्मिलित होने चाहिए। उपकरणों की संख्या में घट या बढ़ सकती है तथा भुगतान यथानुपात के आधार पर किया जाएगा।

इच्छुक फर्मे उपरोक्त कार्य हेतू मुहरबंद निविदाए इस परिषद् को दिनांक 30.05.2018 तक भेज सकती है, जिसके लिफाफे पर *"ऐयर कन्डीशनर्स की कम्प्रीहेन्सिव ए.एम.सी. के लिए निविदा "* बाहर ये चिन्हित करते हुए, जो कि इस परिषद् के सचिव को संबोधित हो, प्राप्त निविदाए दिनांक 31.05.2018 को प्रातः 11:00 बजे खोली जाऐंगी। सभी निविदाओं के साथ रूप्ये 3,000/– का डिमांड ड्राफ्ट ई0एम0डी0 के रूप में "केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्" के नाम साथ में संलग्न हों। दरे 3 वर्ष के लिए वैध होंगी।

यह परिषद् किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रदद् करने का अधिकार रखती है यह फर्म के हित में होगा कि वे निविदा जमा करने से पहले इस कार्यालय परिषद् में लगे उपरोक्त उपकरणो का निरीक्षण विज्ञापन जारी होने के बाद तथा अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में 2:00 से 4:00 बजे के बीच कर सकती है।

नियम एवं शर्ते

1. फर्म को किसी सरकारी कार्यालय / स्वायत निकाय में कम से कम 20 ए.सी. के रख–रखाव का 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र साथ लगाये।
2. फर्म का जीएसटी हेतु पंजिकरण दिल्ली राज्य में होना आवश्यक है जिसकी प्रति निविदा के साथ संलग्न करे।
3. पुराना सामान/पार्ट(जो बदला जाऐंगा) वह केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की सम्पति होगी।
4. शिकायत का निवारण 12–24 घन्टें में होना चाहिए, अगर फर्म इसमें असफल होती है तो उसे बदले में स्टैंड बाई सिस्टम उपलब्ध कराना होगा। यदि फर्म ए.सी. ठीक करने उनके वर्कशाप ले जाती है तो यातायात का खर्चा फर्म द्वारा ही वहन किया जाएेगा। उक्त समय के अन्दर शिकायत का निराकरण न होने की स्थिति में रु. 200/– प्रतिदिन प्रति उपकरण जुर्माना लगाया जा सकता है।

5. ऐयर कन्डीशनर्स की सर्विस मासिक आधार पर होनी चाहिए तथा जिसकी सर्विस रिपोर्ट भी संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर जमा करानी होगी जिसके आधार पर भुगतान किया जाएगा।
6. यह फर्म की जिम्मेदारी होगी की सभी उपकरण अनुबन्ध के दौरान चालु रहे।
7. जिस एजेन्सी को काम दिया जाऐगा उसके द्वारा निर्दिष्ट कार्य राशि का 10% राशि सुरक्षा राशि के रूप में बैंक ड्राफट (केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के नाम) पॉच दिनों में जमा कराना होगा फर्म चाहे तो उक्त राशि में ई0एम0डी0 राशि रु 3,000/– का समायोजन कर शेष राशि जमा कर सकती है।
8. कोई भी अग्रिम राशि इस परिषद् द्वारा नही दी जाएगी तथा भुगतान तिमाही आधार पर किया जाऐगा।
9. बिना ई0एम0डी0 राशि, बिना हस्ताक्षर तथा पैन कार्ड, जी.एस.टी. व टैन नम्बर की प्रति संलग्न न पाये जाने पर निविदा पर विचार नही किया जाएगा।
10. फर्म न्यूनतम दो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से संतोषजनक कार्य प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न करे।

भवदीय,

14/5/18

(यज्ञदत वत्स)
सहायक सचिव (प्रशा. एवं पंजी.)